उत्तर प्रदेश शासन

महिला कल्याण अनुभाग-1

संख्या-35/2023/510485/60-1099/6/2020

लखनऊःदिनांकः 26 जुलाई, 2023

<u>कार्यालय-आदेश</u>

राजकीय बाल गृह (शिशु), जनपद-मथुरा में आवासित 12 बच्चों के बीमार होने तथा 02 बच्चों की मृत्यु हो जाने जैसी संवेदनशील घटना का संज्ञान नहीं लिये जाने, उक्त घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों/विभाग को नहीं दिये जाने एवं जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा दिये गये निर्देश के बाद भी उक्त शिशु सदन का निरीक्षण नहीं कराये जाने आदि आरोपों में प्रथमदृष्टया दोषी पाये जाते हुये श्री अनुराग श्याम रस्तोगी, तत्कालीन जिला परिवीक्षा अधिकारी, मथुरा सम्प्रति जिला प्रोबेशन अधिकारी, मुरादाबाद को शासन के कार्यालय आदेश संख्या-1746/60-1-19-1/13(113)/18, दिनांक 11.09.2019 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी।

2- श्री अनुराग श्याम रस्तोगी के विरूद्ध संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में शासन के कार्यालय आदेश संख्या-2069/60-1-19-1/13(113)/18, दिनांक 18.10.2019 द्वारा उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/उप निदेशक, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद को जॉच अधिकारी नामित करते हुये आरोप-पत्र दिनांक 18.10.2019 निर्गत किया गया।

3- अपचारी अधिकारी श्री अनुराग श्याम रस्तोगी के विरूद्ध संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही की जॉच करते हुये जॉच अधिकारी की जॉच आख्या दिनांक 07.02.2020 शासन में प्राप्त हुई। जॉच में अपचारी अधिकारी पर आरोप प्रमाणित पाये जाने के दृष्टिगत उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-9 (4) के अन्तर्गत सुनवाई का अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये श्री रस्तोगी से शासन के पत्र दिनांक 31.08.2020 द्वारा अभ्यावेदन मांगा गया। अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन दिनांक 15.12.2020 शासन में प्राप्त हुआ। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परिशीलनोपरान्त श्री

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुराग श्याम रस्तोगी द्वारा राजकीय बाल गृह (शिशु), आगरा में आवासित बच्चों के बीमार होने एवं 02 बच्चों की मृत्यु हो जाने की घटना को छिपाने का प्रयास किये जाने, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।

4- उपर्युक्त वर्णित स्थिति के आलोक में श्री अनुराग श्याम रस्तोगी, तत्कालीन जिला परिवीक्षा अधिकारी, मथुरा सम्प्रति जिला प्रोबेशन अधिकारी, मुरादाबाद के विरूद्ध प्रचलित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें निम्नवत् 'परिनिन्दा प्रविष्टि' प्रदान करते हुये शासन के कार्यालय आदेश संख्या-1746/60-1-19-1/13(113)/18, दिनांक 11.09.2019 द्वारा प्रचलित प्रश्नगत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किया जाता है:-

> *"जिला परिवीक्षा अधिकारी, मथुरा के पद पर तैनाती के समय राजकीय बाल गृह (शिशु) जनपद मथुरा में आवासित 12 बच्चों के बीमार होने तथा 02 बच्चों की मृत्यु हो जाने की घटना का संज्ञान न लिये जाने, उक्त घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों/विभागों को नहीं दिये जाने तथा उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के बाद भी शिशु सदन का निरीक्षण नहीं कराये जाने जैसे अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने हेतु आपको 'परिनिन्दित' किया जाता है।"*

(अनामिका सिंह)

सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) जिलाधिकारी, मथुरा/मुरादाबाद।

(3) श्री अनुराग श्याम रस्तोगी, तत्कालीन जिला परिवीक्षा अधिकारी, मथुरा सम्प्रति जिला प्रोबेशन अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) श्री अनुराग श्याम रस्तोगी, जिला प्रोबेशन अधिकारी की चरित्र पंजिका में अभिलेखित करने हेतु।

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।